

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
बाल विद्या मन्दिर,  
सीनियर सीकेण्डी स्कूल  
चारबाग, लखनऊ।

विषय:

बाल विद्या मन्दिर, सीनियर सीकेण्डी स्कूल चारबाग लखनऊ में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्राथमिक पत्र दिनांक 17/01/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर, जो उपरोक्त

विषयक है।

उक्त विषयक स्थल स्कूल भवन का एनओबीओपीओ 2005 अनुसार अग्निशमन प्रशिक्षण, हस्तगत कर, द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रस्तुत में आये

दोषागत संरचना:-

- 1- विद्यालय भवन चारबाग जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है जिस पर सभी प्रकार के वाहन पार्क कर सकते हैं।
- 2- विद्यालय भवन का कुल 'फ्लोर एरिया' 15459 वर्गमीटर है।
- 3- विद्यालय भवन की एरिया 4207 वर्गमीटर, जिसमें में शैक्षणिक भवन की भवनबाँटन एरिया 3057 वर्गमीटर और होस्टल की एरिया-1149 वर्गमीटर है।
- 4- शैक्षणिक भवन भूतल के अतिरिक्त दो तलों का जिनमें प्रत्येक तल की आच्छादित एरिया 4207 वर्गमीटर व होस्टल भवन भूतल के अतिरिक्त तीन तलों का है जिसकी प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया 1149 वर्गमीटर है।
- 5- भवन की ऊंचाई 12.00 मीटर और होस्टल भवन की ऊंचाई लगभग 15.00 मीटर है।
- 6- निष्कास मार्ग हेतु मुख्य भवन में दोनो किनारे पर कमरा 1.20 मीटर व 65 मीटर की स्टेयर केस निर्मित है। दोनो स्टेयर केस के मध्य दूरा 62 मीटर है। सुरक्षित निष्कास हेतु 1.20 मीटर चौड़ा सीढ़ी से 45 मीटर दूरी पर 1.50 मीटर चौड़ाई का एक आरसीसी स्टेयर केस निर्मित किया जाना आवश्यक है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-

- 1- सम्पूर्ण शैक्षिक भवन में भारतीय मानक ब्यूरो आईओएसओ-2190-2010 के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन उपकरण स्थापित है, जो कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
- 2- होस्टल भवन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल तक का निर्मित है एवं एक मुख्य सीढ़ी 1.10 मीटर की है जो भूतल से छत तक जाती है एवं एक 1.10 मीटर चौड़ाई की एक स्टेयर केस भूतल से द्वितीय तल तक जाती है। होस्टल के प्रत्येक तल पर कोरीडोर में जाली युक्त पार्टीसन है इस पर ताला लगाता है इसमें ताला न लगाया जाय एवं आकरिगक प्रकाश हेतु इन्चर्टर की व्यवस्था की जाय ताकि किसी आकस्मिकता के समय सस्त्रि में बच्चों का सुरक्षित निष्कास हो सके।
- 3- भवन के छत पर निर्मित टैंक से 900 एलपीएम क्षमता का टेरिस पंप स्थापित कर होजरील एवं लैण्डिंग वाल्व निर्मित कर 15-15 मीटर लम्बाई के होज पाइप व नानुल स्थापित किये गये है, जो कार्यशील दशा में है।
- 4- स्कूल भवन के होस्टल, किचन और डाइनिंग हाल में स्वचालित अग्नि संयुक्त चेतावनी पद्धति और हस्तगतगत विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।
- 5- स्कूल में अभिभावक सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन प्रशिक्षण, हस्तगत कर की संस्कृति के आधार पर बाल विद्या मन्दिर सीनियर सीकेण्डी स्कूल चारबाग लखनऊ स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था का अन्तर्गत प्रमाण पत्र निम्न शर्तों में अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- भवन स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु केन्टीनेन्स शीटगूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षण तथा नियुक्त किया जाये।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने में पूर्व अग्निशमन विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 4- प्रबन्धक/स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि एक अतिरिक्त स्टेयर केस 1.20 मीटर चौड़ाई का निर्मित कर पार्क के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।


(RAMESH KUMAR)

- 5- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ख़री पाये जाने पर इसकी मरम्मत अग्निशमन व्यवस्था अग्निशमन केंद्र को दी जाये तथा अतिरिक्त कोई नई ख़री का निवारण किया जाये।
- 6- प्रत्येक 15 माह में एक बार भवन में वर्धमान सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- 7- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में तीन रक्षा, फायर फिरो-जल तथा फायर प्रोटेक्शन विभाग के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8- विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है। इन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं का नहीं बैठाया जायेगा।
- 9- विद्यालय में भोजन एवं पिह दे पील आदि भूतल पर व विकास मार्ग से दूर तीन मीटर अथवा उसके निम्नोप में ही किया जायेगा।
- 10- विद्यालय भवन में विद्युत्केब पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 11- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा क्षमताहीन के कारण फायर फाइलिंग सिस्टम अव्यवशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदायक का होगा तथा निर्माता प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

13.05.2011  
(ए0वी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, हजरतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
Principal

Principal  
Feroz Mandir  
Day School  
225004

(RAMESH KUMAR)

ASSISTANT SECRETARY

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  
REGIONAL OFFICE, ALLAHABAD 201001